न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी R-3262/PBR/15

1. श्रीमती कल्पना मुद्गल पत्नी सतीश मुद्गल निवासी विनय नगर सेक्टर नं.4 स्टोर एरिया ग्वालियर
2. दीपक पुत्र स्व. श्री सतीश मुद्गल
3. कु. स्वीटी पुत्री श्री सतीश मद्गल निवासीगण विनय नगर सेक्टर नं. 4 स्टोर एरिया ग्वालियर
4. श्रीमती छवि पुत्री स्व. श्री सतीश मुद्गल पत्नी आनंद , निवासी जैन मंदिर के पास, गेडेवाली सडक, लश्कर ग्वालियर

बनाम

1. श्रीमती देवकी पाराशर पुत्री स्व. मदन मोहन मुद्गल, निवासी नगर निगम कार्यालय के पीछे, मुरैना

[redacted] पक्षकार

2. अनिल कुमार मुद्गल पुत्र स्व. गोपाल प्रसाद मुद्गल
3. विनोद शर्मा पुत्र गोपाल प्रसाद मुद्गल
4. शिवशंकर मुद्गल पुत्र गोपालप्रसाद मुद्गल
5. श्रीमती मीना मुद्गल पत्नी स्व. श्री कृष्ण मोहन मुद्गल , समस्त निवासीगण – नौमहला , कोटेश्वर रोड , ग्वालियर
6. श्रीमती विजया पाठक पत्नी स्व. श्री सुदामा पुत्री गोपाल प्रसाद निवासी श्रीराम कालोंनी गोल पहाडिया लश्कर ग्वालियर

4

7. श्रीमती लमा पण्डा पत्नी ओमपकाश पण्डा पुत्री गोपाल प्रसाद
8. श्रीमती देवी पत्नी ब्रजेश दुबे पुत्री स्व. श्री गोपाल प्रसाद निवासी बजाज खाना मुरार ग्वालियर
9. राजू पुत्र बाबूलाल
10. कमल किशोर पुत्र श्री बाबूलाल वारिसान स्व. सावित्री देवी निवासी घाटीगांव जिला ग्वालियर
11. प्रदीप पुत्र स्व. दाताराम दण्डोतिया
12. हरीश पुत्र दाताराम दण्डोतिया
13. धीरज पुत्र स्व. दाताराम दण्डोतिया निवासीगण – अध्यात्मक निकेतन के सामने जेल रोड , ग्वालियर

..... तरतीबी अनावेदकगण

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 34 / 2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 01.10. 2015 के विरूद्व निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत

क्षकारों एवं अभिभा
आदि के हस्ताक्ष

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला ग्वालियर

...ण क्रमांक निग0 3262—पीबीआर / 15 तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-10—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहृयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 1—10—2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय में अनावेदिका कमांक 1 पक्षकार नहीं थी और तहसील न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया तथा न ही हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी गई है, ऐसी स्थिति में अनावेदिका कमांक 1 का कहना कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की उसे जानकारी नहीं थी, स्वभाविक है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	